

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-I/8176-8219
कार्यालय आदेश

दिनांक:- 10-02-15

विभागीय आदेशों द्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- प्रथम का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है:-

क्र. सं.	लिंक नंबर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन	आदेश संख्या/ दिनांक
1	1584	महेन्द्र कुमार शर्मा	इन्चार्ज भौतिक सत्यापन दल निरीक्षण विभाग, अजमेर (आ.जा.दल)	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	99 / 14-15 28.10.2014
2	6330	विमल कुमार जैन	उपकोषालय, अटरू (बांरा)	जिला परिवहन अधिकारी, बांरा	99 / 14-15 28.10.2014
3	5904	सीताराम मीणा	जिला परिवहन अधिकारी, बांरा	उपकोषालय, अटरू (बांरा)	99 / 14-15 28.10.2014
4	1045	भागचन्द जैन	राजस्थान राज्य सड़क निर्माण निगम, जयपुर (प्रतिनियुक्ति से वापसी पर)	निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर	97 / 14-15 26.10.2014
5	8446	कन्हैया लाल मेघवाल	विकास अधिकारी, पंचायत समिति धरियावाद (प्रतापगढ़)	उपकोषालय, अरनोद (प्रतापगढ़)	94 / 14-15 26.10.2014
6	8926	गोपीकिशन वोहरा	सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) जोधपुर	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बावड़ी (जोधपुर)	116 / 14-15 22.12.2014
7	8853	नन्दलाल धनवानी	सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) भीलवाड़	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुवाना (भीलवाड़ा)	116 / 14-15 22.12.2014
8	484	प्रेमप्रकाश गुर्जर	बालविकास परियोजना अधिकारी, निवाई (टोंक)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा परिषद) टोंक	126 / 14-15 24.12.2014
9	1823	नरपत सिंह जेतावत	एमपावर, जोधपुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, उदयपुर	126 / 14-15 24.12.2014
10	1607	महादेव सोनार	पंचायत समिति, रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर	राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्र), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	6184-92 19.11.2014

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित सलेअ ग्रेड-1 को संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 13.02.2015 तक फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aaol.dta@rajasthan.gov.in द्वारा विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले सलेअ ग्रेड-1 के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-I/8176-8219

दिनांक:- 10-02-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी..... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त सहायक लेखाकारी ग्रेड-I का माह फरवरी 2015 का वेतन भुगतान का बिल नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण तक पारित नहीं करे।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि नव पदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करें, अन्यथा स्थिति में फरवरी-2015 माह का वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I कार्यालयको निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aaol.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें अन्यथा आदेशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गोपनीय अनुभाग/गार्ड फाईल।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)